विधिक जागरुकता के लिए जिला स्तरीय वाद-विवाद एवं कविता प्रतियोगिता आयोजित

कोटा । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 02 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2021 तक संचालित पेन इण्डिया लीगल अवेयरनेस एण्ड आउटरीच कैम्पेन के तहत विधिक जागरुकता का प्रसार करने के उद्देष्य से बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के तत्वावधान में जिला मुख्यालय के विभिन्न विद्यालयों में स्थापित विधिक साक्षरता क्लब के विद्यार्थियों के मध्य एडीआर भवन में जिला स्तर पर वाद-विवाद एवं कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिताओं में वाद-विवाद प्रतियोगिता का विषय महिलाओं के विरूद्ध हिंसा रोकने में कानून की भूमिका रखा गया। प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथून की छात्रा सलोनी सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा नालन्दा अकेडमी सीनियर सैकण्डरी स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा शिवानी सोनी द्वितीय स्थान पर रहीं। कविता प्रतियोगिता में राउमावि कैथून की कोमल गोचर व नालन्दा अकेडमी सीनियर सैकण्डरी स्कूल की भूमिका शक्तावत को संयुक्त रूप से प्रथम विजेता घोषित किया गया।

इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा अणिमा दाधीच द्वारा उपस्थित बच्चों एवं अध्यापकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं जैसे नि:षुल्क विधिक सहायता, अपराध पीडितों का मुआवजा, लोक अदालत, प्री-लिटीगेषन व अन्य विधिक जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पीडित प्रतिकर स्कीम, हेल्प टू चिल्ड्रन, सपोर्ट टू सर्वाइवर स्कीम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं आदि के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया।